

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम कैलाश वगै०

मुकदमा न० :- 174/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01/12/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं० 1 उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं० 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी वादांकित भूमि पर किसी प्रकार से कॉलोनी डवलप नहीं की है, ना ही मौके पर किसी प्रकार का आवासीय कॉलोनी बसावट की है। प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा व बिना किसी प्रमाणिकृत सोसायटी के नक्शे के व बिना स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित कॉलोनी प्रस्तावित नक्शा के आधार पर गलत प्रकरण पेश किया है। जो कि विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध व खातेदारों के अधिकारों के विरुद्ध पेश किये जाने के कारण निरस्त किया जावे। पटवारी रिपोर्ट के साथ मौके पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण की फोटो संलग्न नहीं की है ना किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष मौके पर गैर कृषि कार्य होने के बयान व दस्तावेज नहीं है। यह प्रकरण बिना जाँच किये व बिना मौके पर गये बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। वास्तविक रूप से अप्रार्थी सं० 1 का परिवार काफी बड़ा परिवार है जिन्होंने अपने पैतृक पूर्व मकानों के जर्जर हो जाने से उक्त भूमि पर अपने निजी आवास बनाने व निजी कृषि के उपयोग के लिये इसे समतलीकरण किया गया था ओर उसी के उपयोग के लिये कच्ची मिटटी को फार्म हाउस के उपयोग हेतु रास्ते के रूप में बनाई गई थी। मौके पर जे०डी०ए० ने आकर समतलीकरण रुकवा दिये जाने के बाद अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 225/1 पर अपने निजी रहवास हेतु मकान बनाने की मनोस्थिति चैज कर ली तथा अपना कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः प्रकरण मिथ्या रूप से प्रस्तुत किया गया है जो विधिक रूप से नहीं चल सकता है जिसे खारिज फरमाया जावे।</p> <p>पत्रावली में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः तहसीलदार जमवारामगढ से रिपोर्ट मंगवायी गई। जिस पर पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) द्वारा अपने पत्रांक/ एल०आर०/25/9139 दिनांक 19.11.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा नम्बर 225/1 रकबा 0.7208है० खातेदार कैलाश पिता भंवरलाल जाति ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मौके पर कॉलोनी काटने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन नहीं है। उक्त खसरा नम्बर में सीमा सुरक्षा के लिए बाउण्डरीवाल बना रखी है तथा मिटटी कटाव रोकने के लिए बना रखी है। वर्तमान में अकृषि कार्य उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगणों ने शपथ पत्र भी पेश किया है।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 225/1 रकबा 0.7802है० पर अप्रार्थीगण/खातेदार द्वारा कृषि से गैर कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिसके संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ, जिला जयपुर